

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक 72 / 12-1 , गोपेश्वर,

दिनांक

05/07

2021।

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली।

विषय:-

जनपद चमोली में कुलसारी-नैल-ढालू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.288 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/119/2020/एफ०सी०/1553 दिनांक 13.10.2020.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त मोटर मार्ग के सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस कार्यालय द्वारा पूर्व में मांग पत्र प्रेषित की गयी, परन्तु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं० 972/3-5 दिनांक 21.11.2017 में वृक्षारोपण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश सं० एल०-642/14-3-627/89 दिनांक 30.11.1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरें निर्धारित किया गया था, जिसमें प्रति वर्ष दर में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्राविधान भी था, के अनुसार नये वित्तीय वर्ष में वृक्षारोपण की धनराशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर संशोधित मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित है:-

- 1- शर्त सं० 01 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 4.576 है० गैर वानिकी भूमि ग्राम नौणा सिविल खसरा नं० 53,60,43 में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं० 972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 के नियम के अनुसार वर्ष 2020-21 में निर्धारित दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि के अनुसार वर्ष 2021-22 में रू० 370902.00 प्रति है० के अनुसार 4.576 है० x 3,70,902.00= रू० 16,97,247.50 या रू० 16,97,247.00 मात्र जमा की जानी है।
2. शर्त सं० 02 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार देय 2.288 है० दर 6,57,000.00= रू० 15,03,216.00 जमा की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन अपलोड करते हुए ऑफलाईन चार-चार मूल प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये का कष्ट करे। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 72 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

01C